संख्या-6/2018/1908 /एक-4-2017-रा0-4

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।
2-जिलाधिकारी, औरैया, बागपत, श्रावस्ती, वाराणसी, फैजाबाद, मुरादाबाद, सम्भल, बलरामपुर, कानपुर देहात ।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 14 मार्च,2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने हेतु अन्तर धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-9/2017/1448/एक-4-2017-रा-4 दिनांक 19-09-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 मे जिला प्रशासन अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 500 लाख में से विभिन्न जनपद के अधिकारियों के निष्प्रोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप 09 इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर प्रतिवाहन स्वरूप किये जाने हेतु प्रति वाहन रूपया-12,65,539/- की दर से कुल रूपये-1,13,89,851/- (रूपये एक करोड़ तेरह लाख नवासी हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी थी।

2- भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 5/2017 दिनांक 11-09-2017 द्वारा जी0एस0टी0 सेस 5 प्रतिशत बढ जाने के कारण स्वीकृत वाहनों की कीमत प्रति वाहन रूपया-12,65,539/- के स्थान पर रूपया-13,15,273/- हो जाने के कारण प्रति वाहन अन्तर धनराशि रूपयें 49734/- की दर से उक्त शासनादेश दिनांक 19-09-2017 द्वारा स्वीकृत 09 इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर के क्रय हेतु रूपयें 4,47,606/-अर्थात पूर्णंकित धनराशि रूपये 4,47,610 (रूपयें चार लाख सैतालीस हजार छः सौ दस मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। अत: उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरे अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरे, जो भी न्यूनतम हो और लागू हो, पर किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-जिलाप्रशासन-093- जिला स्थापनाएं-03-कलेक्टरी स्थापना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद से किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-320/दस-2018 दिनांक; 12. मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

संख्या-6 /2018/1908(1)एक-4-17-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2।
6- राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।